

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
दईदान राम पुत्र महेशाराम जाति मेगवाल, निवासी सुवाला तहसील शिव, जिला बाडमेर		उतमाराम पुत्र महेशाराम जाति मेगवाल, निवासी सुवाला तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (27)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (88, 92)

मुकदमा नम्बर 91/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2025	<p>प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 2/7/25 को पेश हो।</p>	
2-7-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 1-8-25 को पेश हो।</p>	
01-08-25	<p>पत्रावली पेश। वादी ठीक इपस्थित। पत्रावली प्रतिवादीगण की तामिली हेतु दिनांक 22-08-25 को पेश हो।</p>	
22-8-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 26-9-25 को पेश हो।</p>	



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म
में जारी

सेवा में,

26.05.25 पत्रावली पेशा वाही बहील उपस्थित
पत्रावली में उतिवादीगण ही तामिली हेतु
पर्याप्त मबसर दिये जाने के बावजूद तामिली
नहीं करवाई गई है। अतः पत्रावली में लेजर
वाही व बहील के गंभीर नहीं होने तथा
तामिली नहीं बरवाने पर उम्त बाद काली
स्टेज पर तामिली के सम्भाव में जरिज
क्रिया जाता है।

पत्रावली नम्बर से क्रम चेकर
शकिल दक्कर धा।